भारत-अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता

[स्रोत: पी.आई.बी.]

हाल ही में भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने तथा पुरावस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लौटाने को सुनिश्चित करने के लिये पहली बार **सांस्कृतिक संपदा समझौते (Cultural Property Agreement- CPA)** पर हस्ताक्षर किये।

- यह समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व हस्तांतरण के निषेध एवं रोकथाम के साधनों पर **यूनेस्को कन्वेंशन के 1970 के अनुच्छेद 9** के अनुरूप है।
- CPA 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर **वर्ष 1947 तक की कुछ पुरातात्त्विक और नृवंशविज्ञान संबंधी सामग्रियों के अमेरिका में आयात पर प्रतिबंध लगाता** है। आयात के लिये प्रतिबंधित ऐसी वस्तुओं की सूची अमेरिकी सरकार द्वारा प्रख्यापित की जाएगी।
    - अमेरिका, **भारत को नामित सूची में शामिल किसी भी वस्तु या सामग्री को वापस करने की पेशकश करेगा,** जो अमेरिकी सरकार द्वारा ज़ब्त कर ली गई हो।
    - इसी प्रकार के समझौते अमेरिका और अल्जीरिया, कंबोडिया, चीन, मिस्र और इटली जैसे देशों के बीच भी हैं।
- यह समझौता G20 बैठकों के दौरान शुरू की गई साल भर की द्विपक्षीय चर्चाओं का परिणाम है। **भारत की G20 अध्यक्षता** के तहत, सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
    - **काशी कल्चर पाथवे** और वर्ष 2023 में नई दिल्ली नेताओं की घोषणा (New Delhi Leaders' Declaration- NDLD) ने अवैध तस्करी से लड़ने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- यह वैश्विक विकास रणनीति में बदलाव का प्रतीक है, जो **वर्ष 2030 के बाद के विकास ढाँचे में संस्कृति को एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में महत्त्व** देता है।

और पढ़ें: G20 संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक और B20 शिखर सम्मेलन 2023

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-us-cultural-property-agreement